न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 45 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 185

1. लक्ष्य गहलोत पुत्र उमाशंकर गहलोत, निवासी कोयला गली वार्ड नं. 52, बीकानेर

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं, सूचना अपीलार्थी को दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्रांक आरटीआई / 2024 / 1786 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर सूचना कार्यालय के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 1781 दिनांक 02.12.2024 के द्वारा प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी घड़सना के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 1781 दिनांक 02.12.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक का आवेदन पत्र खारिज करते हुए प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 2024 / 40 व 2024 / 41 से संबंधित सूचनाएं / दस्तावेज उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को प्रतिउत्तर प्रेषित कया है कि सूचना न्यायिक प्रकृति की है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर न्यायालय प्रतिलिपि शुल्क जमा करवा प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है। चूंकि न्यायिक प्रकरणों से वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पृथक से विधिक प्रावधान अस्तित्व में है ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रतिउत्तर सही है। अपील स्वीकार योग्य नहीं है। परन्तु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को भविष्य में निश्चित समयावधि में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करते हुए अपील अस्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)

जिला कलक्टर I.A.S

अनूपगढ़

कलक्टर एंवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़